भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 06 / 33 / 2016 / एफ.सी. / 785

दिनॉकः 19/1/18

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, छठवां तल,
वापू भवन, लखनऊ

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Other/17397/2016

विषयःबिजनौर में बिजनौर–नूरपुर मार्ग किमी0 6 की दायीं पटरी पर ग्राम– महगाली के खसरा संख्या–524, 527, 528 एवं 534 में मैसर्स लीला फार्म हाउस द्वारा विकसित किये जा रहे बैंकट हाल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0465 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– 2447 / 14–2–2016–800 (52) / 2016, दिनांक– 22.12.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी–50 / 14–2–2016–800 (52) / 2016, दिनांक– 12.04.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 28.04.2016 द्वारा आवश्यक सूचनाएं चाही गयी थी जिसको अनुपालन निर्धारित समयावधि में न प्राप्त होने की दशा में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 26.09.2017 द्वारा चाही गयी सूचना की अनुपालना 45 दिवस के भीतर उपलब्ध करानें का नोटिस जारी किया गया था। जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार बिजनौर में बिजनौर–नूरपुर मार्ग किमी0 6 की दायीं पटरी पर ग्राम– महगाली के खसरा संख्या–524, 527, 528 एवं 534 में मैसर्स लीला फार्म हाउस द्वारा विकसित किये जा रहे बैंकट हाल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0465 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

   (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

19.1.18

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित [illegible] स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र [illegible] दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र [illegible] प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) [illegible] लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible] डिस्पोजल योजना [illegible] कारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी

5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं [illegible] जाएगा।

7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

8. राज्य सरकार प्रकरण में संशोधित वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार [illegible] आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक [illegible] फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

19.1.18

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर, उ0 प्र0।
5. डा0 नरेश कुमार वर्मा, लीला फार्म (बैंकट हाल) निकट रूटस इंटरनेशनल स्कूल, नूरपुर रोड, बिजनौर, उ0 प्र0।
6. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली

19.1.18

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}